कार्यालय प्राचार्य,
शास0 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग
जिला–दुर्ग (छ0ग0)
Phone.No.:- 0788-2211156/Email - itidurg@rediffmail.com

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

Industrial Training Institute

क्रमांक औ.प्र.सं/दुर्ग/स्थाप/2025/ 1323 /दुर्ग, दिनांक 18/09/2025

// विज्ञापन संशोधन //

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़,अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी दिशा-निर्देश का पत्र क्रमांक एफ 1-326/संरोप्र/स्थाप-प्र/व्य-/2019/1438/अटल नगर, रायपुर, दिनांक 12.03.2019 के परिपालन में दिनांक 30.08.2025 को विभिन्न व्यवसाय हेतु मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, उक्त विज्ञापन में निम्नालिखित संशोधन किया जा रहा है जो निम्नानुसार है :-

01. विज्ञापन के बिन्दु 1 रिक्त पदों कि जानकारी में उल्लेखित व्यवसायों में से डी.सी.एम. का 01 पद विलोपित किया जाता है, साथ ही लेंग्वेज हिन्दी एवं अंग्रेजी एवं इंग्लिश कम्यूनिकेशन स्कील के सभी पद विलोपित किये जाते है।

02. विज्ञापन के बिन्दु 2 शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के कॉलम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हतायें के बिन्दु-2 को निम्नानुसार पढा जावें :-

2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से ''राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र'' अथवा ''राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र'' अथवा ''मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या छ.ग. औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित समतुल्य ब्रांच में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।''

''विज्ञापन के बिन्दु 2 के टेबल के अंतिम पंक्ति को शून्य माना जावें।''

03. विज्ञापन के बिन्दु क्रमांक - 04 नियम एवं शर्तें के कंडिका-19 में मानेदय प्रति घण्टें को 140 रूपये प्रति घण्टा पढा जावे।

04. बिन्दु क्रमांक - 21 एवं 23 को निम्नानुसार पढा जावे :-

21. ''यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का उसी समय उसका शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जावेगा ।''

23. ''मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर देते हेतु स्पष्ट कारण दर्शाते हुये उन्हें प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।''

Scanned with OKEN Scanner

05. विज्ञापन के साथ संलग्न शपथ पत्र के प्रारूप को निम्नानुसार पढा जावें :-

//शपथ-पत्र //

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग.द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत/संलग्न सभी प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अथवा प्रस्तुत/संलग्न प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा मेरा यह चयन इस सत्र के लिये या आवश्यकतानुसार या नियमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगा/रहेगी। उसके लिये मैं सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक संस्था/व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था/व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाउंगा/जाउंगी तथा उसी समय मेरा संस्था/व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।
6. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों/ निर्देशों तथा नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1..... 2.....

3..... 4.....

5..... 6.....

7.....8.....

दिनांक.....

स्थान.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

.....

.....

मोबाईल नम्बर.....

(प्रतीक कुमार साहू)
प्राचार्य/नोडल अधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner